डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर मुकाम नागौर

व इजलाश बृजेन्द्र मीना R.A.S

① किशनाराम पुत्र पेमाराम बनाम ① लूणाराम पुत्र चुन्नीलाल

② सुखाराम पुत्र पेमाराम ② ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल

③ हीराराम पुत्र पेमाराम ③ सगराम पुत्र चुन्नीलाल

दावा मुकद्दमा २२8 / सन 15

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

(क) वादी सं. 1 किशनाराम बंट मे मौजा ईनाणा के ख.नं.५८६ रकबा २५ बीघा 1० बिस्वा मे से 13 बीघा ५ बिस्वा खेत का दक्षीण हिस्सा व ख.नं.५८२ रकबा ९ बीघा ८ बिस्वा तन्हा बंटे कन्त्रा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है।

लीज मुबलिक बाबत

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह २ सन 20 19

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुददयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए ।

(4) चम्पा पत्नी रामपाल बनाम (4) श्रवणराम पुत्र रामपाल
(5) भगवानाराम पुत्र रामपाल जाति स्वाती (5) सीताराम पुत्र रामपाल
निवासीगण ईनाणा तहसील मूंण्डवा (6) केशर पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रामजीवन
जिला नागौर जाति स्वाती निवासी ईनाणा हाल निवासी
पावड़ी जोधा तहसील मूंण्डवा.
(7) तहसीलदार मूंण्डवा.

(ख) वादी सं. 2 सुखराम के मौजा ईनाणा के ख. न. 1567 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है।

(ग) वादी सं. 3 हीराराम के मौजा ईनाणा के ख. न. 481 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा व ख. न. 1563 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है।

(घ) वादी संख्या 4 व 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के बंट मे मौजा ईनाणा के ख. न. 1564 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से ½ हिस्सा व ख. न. 1565 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से ½ हिस्सा ~~तन्हा~~ बंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है।

(ङ) प्रतिवादी सं. 4 श्रवणराम के बंट मे उनके खरीदशुदा खेत ख. न. 1564 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे से ½ हिस्सा व ख. न. 1565 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से ½ हिस्सा बनता है। एवं उक्त दोनो खेतायो मे ½ हिस्से मे अकेले का कब्जा काश्त स्थित होने व स्वंय द्वारा खरीद करने से बंट मे स्थित होने से अलग से घोषित किया जाता है।

(च) प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 6 के बंट में मौजा ईनाणा के ख. न. 486 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा मे से 11 बीघा 6 बिस्वा उत्तरी हिस्सा एवं ख. न. 483 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है।

अपर जिला कलक्टर (प्र.)
नागौर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु०) नागौर

सहायक कलक्टर (मु०) नागौर

पीठासीन अधिकारी: ब्रजलाल बृजेन्द्र मीना R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 228/15

बनाम

वादीगण

1. किशनाराम पुत्र पेमाराम
2. सुखाराम पुत्र पेमाराम
3. हीराराम पुत्र पेमाराम
4. चम्पा पत्नी रामपाल
5. भगवानराम पुत्र रामपाल जाति स्वाती निवासीगण ईनाणा तहसील मूंण्डवा। जिला नागौर

प्रतिवादीगण

1. लूणाराम पुत्र चुन्नीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल
3. सगाराम पुत्र चुन्नीलाल
4. रूपाराम पुत्र रामपाल
5. सीताराम पुत्र रामपाल वगैरह जाति स्वाती निवासी ईनाणा तहसील मूंण्डवा
6. केशर पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रामजीवण स्वाती निवासी ईनाणा हाल निवासी पावडी जोधा तह. मूंण्डवा
7. तहसीलदार मूंण्डवा।

वाद बाबत बंटवारा घोषणा खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरस्ती

दिनांक 20.9.2019.

निर्णय

वादीगण ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर इस्तदुआ की, कि पक्षकारान एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है। पक्षकारान की वंशावली एवं स्वर्गीय पेमाराम के वारिसान है। पक्षकारान वाद पत्र मे अंकितानुसार है।

पक्षकारान के सहकब्जेकाश्त व खातेदारी के पुश्तैनी खेतान, खेत खसरा नं. 481, 482, 483, 486, 1563, 1567, कुल रकबा 90 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नं. 1564, ख.नं. 1565 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा मे से ½ हिस्सा मौजा ईनाणा तहसील मूंण्डवा मे स्थित है। पक्षकारान का मौके पर एवं मौखिक बंटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त है। अलग अलग काबीज रहते चले आये है।

मौजा ईनाणा के खेत ख.नं. 1564 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा मे ½ हिस्सा व खसरा नं. 1565 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से ½ हिस्सा में से ½ हिस्सा, कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा मे से ½ हिस्सा

सहायक कलक्टर (मु०) नागौर

राजस्व वाद सं 228/15 किशनाराम बनाम लूणाराम

(2)

प्रतिवादी सं॰ 4 अणदाराम के जरिये विक्रय पत्र दिनांक 3·12·90 को श्रीमति संती बेवा श्री सांवताराम जाट से खरीद किया एवं उक्त 1/2 हिस्से पर अणदाराम का कब्जा काश्त है।

यह की पक्षकारान के शामलाती खाता होने से कई प्रकार की दिक्कते आ रही है। इस कारण पक्षकारान ने दिनांक 16·11·15 को प्रतिवादी सं॰ 1 से 3 व 6 को बंटवारा करने का निवेदन किया तो उन्होंने बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया, इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये, प्रतिवादीगण सं॰ 1 से 3 की तरफ से दिनांक 12·5·16 को इकबाली जवाब एवं प्रतिवादीगण सं 4 व 5 की तरफ से दिनांक 7-12-16 को इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी सं 6 व 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई, वादीगण ने वाद के समर्थन मे वादी किशनाराम एवं हीराराम एवं सुखराम व चम्पा के शपथपत्र प्रस्तुत किये एवं दस्तावेजी सबूत मे प्रदर्श 1 व 2 एवं 3A प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वकीलान की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस के दौरान वादी वकील ने बताया कि वादग्रस्त खेतान मौजा इलाका तहसील मूण्डवा पक्षकारान के सह खातेदारी एवं सह कब्जेकाश्त के पुश्तैनी खेतान है। पक्षकारान ने वादग्रस्त खेतान का मौके पर बंटवारा कर अलग अलग काबीज है। एवं काश्त करते आये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। एवं अतः वादीगण का वाद स्वीकार करावें।

बहस वकीलान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया नकल खतौनी प्रदर्श 1 व 2 से पक्षकारान

सहखातेदार दर्ज साबित है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयान शपथ पत्रों से वादीगण के वाद की ताईद होती है। अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री सादिर की जाती है।

(क) वादी सं.1 किशनाराम के बंट मे मौजा इनाणा के खसरा नं. 486 रकबा २4 बीघा 10 बिस्वा मे से 13 बीघा 4 बिस्वा खेत का दक्षीण हिस्सा व ख नं.482 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है।

(ख) वादी सं 2 सुखराम के मौजा इनाणा के ख. नं. 1567 रकबा २8 बीघा 4 बिस्वा तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है।

(ग) वादी सं 3 हीराराम के मौजा इनाणा के ख. नं. 481 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा व ख. नं. 1563 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है।

(घ) वादी सं 4 व 5 एवं प्रतिवादीगण सं 4 व 5 के बंट मे मौजा इनाणा के ख. न. 1564 रकबा २4 बीघा 1२ बिस्वा मे से $\frac{1}{2}$ हिस्सा व ख न 1565 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से $\frac{1}{2}$ हिस्सा तन्हा बंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है।

(ङ) प्रतिवादी सं.4 रूगाराम के बंट मे उसके खरीदशुदा खेत खसरा न 1564 रकबा २4 बीघा 1२ बिस्वा मे से $\frac{1}{2}$ हिस्सा व ख. नं. 1565 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा मे से $\frac{1}{2}$ हिस्सा बनता है एवं उक्त दोनो खेतों मे $\frac{1}{2}$ हिस्से मे अकेले का कब्जा काश्त स्थित होने एवं स्वयं द्वारा खरीद करने से बंट मे स्थित होने से अलग से घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु.) डागोता

राजस्व वाद सं २२८/15 किशनाराम बनाम लूणाराम

(5)

(पी) प्रतिवादीगण सं 1 से 3 व 6 के बंट मे मौजा ईनाणा के ख.नं. 486 रकबा २५ बीघा 10 बिस्वा मे से 11 बीघा 6 बिस्वा उतरी हिस्सा व ख.नं. 483 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा तम्हावंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित किये जाते है। ~~इसी अनुसार~~ इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मूंडवा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक २०.२.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

B

उपखण्ड अधिकारी (मु.)
नागौर